E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (7) अपील–17/2024..........................

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश सं0–13230 दिनांक–08.08.2024 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री अमित कुमार, (Emp. ID No.- AEN04287), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद द्वारा ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)'' में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपीलार्थी द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित।

उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है। अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है :–

बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–315 दिनांक–04.03.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शिविर–घोषी–2 के राजस्व ग्राम–लखीसराय, थाना नं0–629 में पदस्थापित श्री अमित कुमार, (Emp. ID No.- AEN04287), विशेष सर्वेक्षण अमीन, द्वारा प्रतिवेदित तिथि तक 3610 खेसरों के विरूद्ध मात्र 1932 खेसरों का खानापुरी कार्य सम्पन्न किया गया है। समय सीमा के अन्दर कार्य पूरा करने का निदेश, चेतावनी तथा मानदेय की कटौती भी की गयी है। श्री कुमार के विरूद्ध कार्य को अधूरा रखने, गैर जिम्मेवारी, कर्त्तव्यहीनता एवं कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आलोक में कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की अनुशंसा बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा की गयी है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार से भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–1379 दिनांक–14.03.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। अपीलार्थी द्वारा ससमय स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर समर्पित किया गया है, जिसमें इन्होंने कैंसर से पीड़ित अपनी माँ के ईलाज एवं देख–रेख करने हेतु बार–बार घर जाने के कारण 3610 खेसरा में से 1932 खेसरा का कार्य पूर्ण किये जाने का उल्लेख किया है, साथ ही शेष बचे कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

निदेशालय द्वारा पुनः श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सुस्पष्ट मंतव्य की मांग बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद से किया गया। बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद के पत्र संख्या–553 दिनांक–19.06.2024 द्वारा मंतव्य उपलब्ध करायी गयी है। बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद ने उक्त मंतव्य प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित किया है कि अपीलार्थी ने अपने आवंटित राजस्व ग्राम का किस्तवार कार्य 08 माह में पूर्ण किया गया है तथा 12 माह में भी 3610 खेसरों में से 2697 खेसरे का ही खानापुरी कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि याद्दाश्त लेखन जाँच हेतु बार–बार याद्दाश्त पंजी उपस्थापित करने का निदेश दिये जाने के बाद भी 12 माह में केवल 410 खेसरों का ही याद्दाश्त जाँच कराया गया है तथा यह बार–बार अपने कार्य क्षेत्र से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है। तदालोक दण्डात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा की गयी, समीक्षा के उपरांत यह पाते हुए कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय—सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर कर्त्तव्य क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण अपीलार्थी का संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि मेरी माँ कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिनकी देखभाल करने वाला मैं एक मात्र सदस्य हूँ। परिस्थितिवश मुझे अपने माता की देखभाल एवं ईलाज के क्रम में आकस्मिक स्थिति में बार—बार मुख्यालय से बाहर जाना पड़ता था। इसलिए सर्वेक्षण कार्य में विलंब हुआ है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि इस विकट परिस्थितियों में भी मैंने 3610 खेसरों में से 1932 खेसरों का खानापुरी कार्य पूर्ण किया है। निदेशालय ने अपने मंतव्य में दिनांक—08.08.2024 को पारित निदेशक के आदेश को पूर्ण रूप से समर्थन किया है।

अपीलार्थी के कथन, निदेशालय के मंतव्य तथा संलग्न अभिलेख की विवेचना की गयी। विवेचनोपरांत पाया गया कि अपीलार्थी के माँ का कैंसर की चिकित्सा टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल, मुंबई में कराया गया है। पुनः IGIMS, पटना में भी अपीलार्थी की माँ का ईलाज कराया गया है, जिसका साक्ष्य अभिलेख में संलग्न है। अपीलार्थी द्वारा अपनी माँ के चिकित्सा के दौरान खानापुरी कार्य आरोप के प्रतिवेदन की तिथि तक कुल 3610 खेसरों में से 1932 खेसरों को पूर्ण किया गया है। यानि 765 खेसरा का खानापुरी कार्य आरोप प्रतिवेदन के बाद अपीलार्थी द्वारा किया गया है। स्पष्ट है कि अपीलार्थी अपने माँ के गंभीर बीमारी के ईलाज के साथ—साथ अपने कार्यों को पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण प्रतियुत्तर में माँ के ईलाज के कारण कार्य में हुए विलंब के लिए क्षमा याचना की है तथा शेष बचे कार्य को शीघ्र पूर्ण कर लेने हेतु अनुरोध किया गया है। अपने कथन के अनुसार माह—जून तक 765 खेसरों का खानापुरी कार्य भी पूर्ण किया गया है। निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप द्वारा अपीलार्थी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर गहन विचार किया जाना चाहिए था। जहाँ तक अपीलार्थी के कर्त्तव्य क्षेत्र से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की बात है, इस संबंध में अपीलार्थी किन—किन तिथियों को अनुपस्थित रहे है, इसका कोई उल्लेख नहीं है।

अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप के दृष्टिगत, रक्षित साक्ष्यों के विवेचना से स्पष्ट होता है कि आरोप के अनुपात में संविदा समाप्ति जैसा दण्ड़ अधिरोपित किया जाना अप्रत्यानुपातिक है।

अतः अपीलार्थी द्वारा अनुपस्थित अवधि एवं Termination अवधि में कार्य नहीं करने के कारण No Work No Pay का सिद्धांत अपनाया जाए। साथ ही उक्त विवेचना के आलोक में निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश—13230 दिनांक—08.08.2024 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को संविदा सेवा में पुर्ननियोजित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

ह0 / —
अपर मुख्य सचिव—सह—
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–17/2024......14493......**पटना, दिनांक :–**...02/12/2024...

प्रतिलिपिः– श्री अमित कुमार, (Emp. ID No.- AEN04287), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 2/12/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–17/2024......14493......**पटना, दिनांक :–**...02/12/2024...

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 2/12/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–17/2024......14493......**पटना, दिनांक :–**...02/12/2024...

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 2/12/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–17/2024......14493......**पटना, दिनांक :–**...02/12/2024...

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 2/12/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–17/2024......14493......**पटना, दिनांक :–**...02/12/2024...

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 2/12/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–17/2024......14493......**पटना, दिनांक :–**...02/12/2024

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 2/12/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप